भाग :– 2

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7–	परियोजना/स्कीम का स्थान	भौंरट बॉध निर्माण/जनपद ललितपुर का महरौनी ब्लॉक
7(1)-	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
7(2)-	जिला	ललितपुर
7(3)-	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर
7(4)-	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेयर में)	209.807 हेक्टेयर
7(5)-	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वनभूमि
7(6)-	हरियाली का घनत्व	0.4
7(7)-	प्रजाति–वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ0आर0एल0, एफ0आर0एल0–2, मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0 4 मीटर भी संलग्न किये जायें)	प्रस्तावित वन भूमि पर स्थित प्रजाति वार/व्यास वार सूची संलग्न है।
7(8)-	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	संवेदनशील नहीं है।
7(9)-	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	वनभूमि अन्तर्गत
7(10)-	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	नहीं
7(11)-	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हॉ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दे।	नहीं
7(12)-	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं
8-	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम – 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	वनभूमि की आवश्यकता अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न है।
9-	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं

10–	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	संलग्न कर दी गयी है।
10(1)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डो की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार	सिंचाई विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम–मैनवार, म्यॉव, नाराहट एवं रायपुर की ग्रामसमाज की भूमि प्रस्तावित की गयी है।
10(2)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	सिंचाई विभाग द्वारा उक्त क्रम में प्रेषित मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।
10(3)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	आवंला, बांस, अकेशिया, शीशम, सेमल, सागौन, अलबीजिया, अमारा, शरीफा, कंजी, बबूल, अर्जुन आदि।
10(4)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।
10(5)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम–7(11 एवं 12) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
12(1)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र।	503050.00 हे0
12(2)	जिले का वन क्षेत्र।	74236.86 हे0
12(3)	ममलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	मामलों की संख्या - 14 कुल वन क्षेत्र - 1185.566 हे0
12(4)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	6151.00 हे0
12(4क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	201 हे0
12(4ख)	वनेत्तर भूमि पर	6151 हे0
12(5)	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
12(5क)	वनभूमि पर	201 हे0
12(5ख)	वनेत्तर भूमि पर	6144 हे0
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	संस्तुति की जाती है।

दिनांकः– 09-09-2016

स्थानः– ललितपुर

हस्ताक्षर.....

नाम..... प्रभागीय निदेशक

सरकारी मोहर..... सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर